सोनवाल

(सामान्य)

सत्र कार्य-सदन शाखा-अविलम्बनीय

तुरन्त जारी हो।

Process immediately

फैक्स नं.- 0141-2744333/2744334
दूरभाष नं.- 2744326 जयपुर
2744301/110

अ.शा. पत्रांक : एफ.2(1)सदन/विस/2011/40626

जयपुर, दिनांक 29 अगस्त, 2011

विषय:- नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-23) को राज्य में अंगीकृत करने के संबंध में सदन द्वारा पारित किये गये शासकीय संकल्प बाबत्।

प्रिय श्री

आपके पत्र क्रमांक प.16(5)चिस्वा/2/99 दिनांक 9 अगस्त, 2011 के संदर्भ में निदेशानुसार निवेदन है कि राजस्थान विधान सभा की दिनांक 29 अगस्त,2011 को सदन में नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या-23) को राज्य में अंगीकृत करने बाबत शासकीय संकल्प पारित किया गया है।

कृपया पारित शासकीय संकल्प की अधिप्रमाणित प्रति इसके समावृत प्रेषित है।

सदभावी,

(सीताराम सोनवाल)

श्री बी.एल. शर्मा,
प्रमुख शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
राजस्थान सरकार, जयपुर।

RESOLUTION

Legislative Assembly considers that it is throughout India for the registration and ents in the country and for matters thereto;

ment has no power to make laws for the matters aforesaid except as provided in Articles tion;

in pursuance of clause (1) of Article 252 of the have been passed by all the House of the States of Aranachal Pradesh, Himachal Pradesh, to the effect that matters aforesaid should be es by Parliament by law;

AS, the Clinical Establishments (Registration and 2010 (Central Act No. 23 of 2010) extends in the first whole of the State of Arunachal Pradesh, Himachal and Sikkim and the Union territories;

WHEREAS, the said Act shall apply to such other States as said Act by resolution passed in that behalf in pursuance Article 252 of the Constitution;

WHEREAS, it appears to the Rajasthan Legislative Assembly ble that the Clinical Establishments (Registration and Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010) should be adopted in Rajasthan;

NOW THEREFORE, in pursuance of clause (1) of Article 252 of the Constitution, Rajasthan Legislative Assembly hereby resolves that the linical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central t No. 23 of 2010) be adopted in the State of Rajasthan.

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा/2/99pt

Jaipur, Dated: - 5 JUN 2013

NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 10 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the District Registering Authority for each district consisting of the following, namely:-

1. District Collector - Chairperson
2. Chief Medical & Health Officer - Convener
3. Superintendent of Police or it's Representative not below Deputy Superintendent - Member
4. One Member of Local Self Government to be selected by Chief Medical and Health Officer - Member
5. One Member Professional Association to be selected by Chief Medical and Health Officer - Member

By order of the Governor,

(Alpa Chaudhary)
Deputy Secretary to the Government
शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रु-2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा/2/99pt जयपुर, दिनांकः 5 JUN 2013

अधिसूचना

जी.एस.आर.– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित से मिलकर बनने वाली प्रत्येक जिले के लिए जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण का इसके द्वारा, गठन करती है, अर्थात् :–

1.	जिला कलक्टर	–अध्यक्ष
2.	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी	–संयोजक
3.	पुलिस अधीक्षक या उसकी प्रतिनिधि जो उप अधीक्षक से नीचे की रैंक का न हो	–सदस्य
4.	स्थानीय स्वशासन का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये	–सदस्य
5.	वृत्तिक संगम का एक सदस्य जो मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा चयनित किया जाये	–सदस्य

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी)
उप शासन सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

GOVERNMENT OF RAJASTHAN
Department of Medical & Health (Group-2) Department

No. प.16(5)चिस्वा/2/99pt Jaipur, Dated: - 5 JUN 2012

NOTIFICATION

G.S.R.- In exercise of the power conferred by section 8 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby constitute the Rajasthan Sate Council for Clinical Establishments consisting of the following, namely:-

1.	Secretary Health-ex officio	-Chairman
2.	Director (Public Health) of Health Services- ex officio	-Member Secretary
3.	Director of Ayurveda Department - ex officio	-Member
4.	Director of Homeopathic Department - ex officio	-Member
5.	Director of Unani Department - ex officio	-Member
6.	One representative each to be elected by the Executive Committee of:	
	(i) Rajasthan Medical Council	-Member
	(ii) Rajasthan Dental Council	-Member
	(iii) Rajasthan Nursing Council	-Member
	(iv) Rajasthan Pharmacy Council	-Member
7.	One representative each to be elected by the Executive Committee of:	
	(i) Rajasthan Ayurveda, Council	-Member
	(ii) Rajasthan Sidha, Council	-Member
	(iii) Rajasthan Unani, Council	-Member

8. One representation to be elected by the State Council of the Indian Medical Association. -Member

9. One representative from the line of paramedical systems nominated by the State Government. -Member

10. Two representatives from State level consumer group or reputed non government organization working in the field of health nominated by the State Government. -Member

Note: (i) The nominated member of the State council shall hold office for a term of three years, but shall be eligible for re-nomination for maximum of one more term of three years.

(ii) The elected member of the State Council shall hold office for three years but shall be eligible for re-election.

By order of the Governor,

(Alpa Choudhary)
Deputy Secretary to the Government
शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

संख्याः प.16(5)चिस्वा/2/99pt

जयपुर, दिनांकः 5 JUN 2013

अधिसूचना

जी.एस.आर.– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनने वाली राजस्थान राज्य नैदानिक स्थापन परिषद् का इसके द्वारा गठन करती है, अर्थात् :–

1. सचिव, स्वास्थ्य–पदेन —अध्यक्ष
2. निदेशक (लोक स्वास्थ्य) स्वास्थ्य सेवाएं–पदेन —सदस्य सचिव
3. निदेशक, आयुर्वेद विभाग–पदेन —सदस्य
4. निदेशक, होम्योपैथिक विभाग–पदेन —सदस्य
5. निदेशक, यूनानी विभाग–पदेन —सदस्य
6. निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :–
   - (i) राजस्थान चिकित्सा परिषद् —सदस्य
   - (ii) राज्य दन्त चिकित्सा परिषद् —सदस्य
   - (iii) राजस्थान नर्स परिषद् —सदस्य
   - (iv) राजस्थान भेषजी परिषद् —सदस्य
7. निम्नलिखित की कार्यकारी समिति द्वारा निर्वाचित किये जाने वाला प्रत्येक का एक प्रतिनिधि :–
   - (i) राजस्थान आर्युवेद परिषद् —सदस्य
   - (ii) राजस्थान सिद्ध परिषद् —सदस्य
   - (iii) राजस्थान यूनानी परिषद् —सदस्य

8. भारतीय चिकित्सा संगम की राज्य परिषद् द्वारा निर्वाचित किया जाने वाला एक प्रतिनिधि —सदस्य

9. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट परा–चिकित्सा पद्धतियों से एक प्रतिनिधि —सदस्य

10. राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट स्वास्थ्य के क्षेत्र में कार्य कर रहे राज्य स्तरीय उपभोक्ता समूहों या ख्यातिप्राप्त गैर–सरकारी संगठनों से दो प्रतिनिधि —सदस्य

टिप्पण : (i) राज्य परिषद् का नामनिर्देशित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा, किन्तु वह अधिकतम तीन वर्ष की एक और अवधि के लिए पुनः नामनिर्देशन के लिये पात्र होगा।

(ii) राज्य परिषद् का निर्वाचित सदस्य तीन वर्ष की अवधि के लिये पद धारण करेगा किन्तु वह पुनर्निर्वाचन के लिये पात्र होगा।

राज्यपाल के आदेश से,

(अल्पा चौधरी)
उप शासन सचिव
शासन उप सचिव
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर

2

PR R.N. Meen 941
Ajay Jain 94602

राजस्थान राज–पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

ज्येष्ठ 16, गुरुवार, शाके 1935–जून 6, 2013
Jyaistha 16, Thursday, Saka 1935–June 6, 2013

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य–प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप–विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जून 5, 2013

जी.एस.आर. 16 :– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 है।

(2) [redacted]

2. परिभाषाएं.– (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) "अधिनियम" से नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 अभिप्रेत है;

(ख) "प्ररूप" से इन नियमों से संलग्न प्ररूप अभिप्रेत हैं;

(ग) "अनुसूची" से इन नियमों से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है, और

(घ) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त किये गये, और परिभाषित नहीं किये गये किन्तु अधिनियम में परिभाषित किये गये शब्दों और अभिव्यक्तियों का वही अर्थ होगा जो उन्हें अधिनियम में क्रमशः समनुदेशित किया गया है।

3. राज्य परिषद के कारबार का संचालन.– (1) धारा 8 के अधीन गठित राज्य परिषद की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायगी।

(2) राज्य परिषद की बैठकें, ऐसी तारीखों पर, जो अध्यक्ष द्वारा नियत की जायें, सामान्यतः जयपुर में आयोजित की जायेंगी। राज्य परिषद तीन मास में कम से कम एक बार बैठक करेगी।

(3) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतः बैठक के सात दिन पूर्व सदस्य सचिव द्वारा राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।

(4) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, किसी भी समय, सामान्यतः तीन दिन से अन्यून की अल्पतम सूचना पर राज्य परिषद् की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(5) राज्य परिषद् के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई गणपूर्ति करेगा और राज्य परिषद् की समस्त कार्रवाइयां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

(6) राज्य परिषद् की बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

(7) राज्य परिषद् की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के सात दिन के भीतर अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अनुमोदित किये जाने के पश्चात्, बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर राज्य परिषद् के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेगी। यदि उनकी शुद्धता के बारे में दस दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो उसमें से किन्हीं भी विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जायेगा।

4. जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण के कारबार का संचालन.– (1) धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता अध्यक्ष द्वारा की जायेगी।

(2) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की सूचना और कार्यसूची सामान्यतः बैठक के सात दिन पूर्व, संयोजक द्वारा प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को परिचालित की जायेगी।

(3) अध्यक्ष, स्वविवेकानुसार, किसी भी समय, सामान्यतः तीन दिन से अन्यून की अल्पतम सूचना पर प्राधिकरण की विशेष बैठक बुला सकेगा।

(4) प्राधिकरण के सदस्यों की कुल संख्या का एक तिहाई गणपूर्ति करेगा और प्राधिकरण की समस्त कार्रवाइयां उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित की जायेंगी।

(5) प्राधिकरण की बैठकों की कार्यवाहियां कार्यवृत्त के रूप में सुरक्षित रखी जायेंगी जो अध्यक्ष द्वारा अधिप्रमाणित की जायेंगी।

(6) प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक के कार्यवृत्त की एक प्रति, बैठक के सात दिन के भीतर, संयोजक द्वारा अध्यक्ष को प्रस्तुत की जायेगी और उसके द्वारा अनुप्रमाणित किये जाने के पश्चात्, बैठक के पन्द्रह दिन के भीतर प्राधिकरण के प्रत्येक सदस्य को भेजी जायेंगी। यदि उनकी शुद्धता के बारे में दस दिन के भीतर कोई आक्षेप प्राप्त नहीं होता है तो उसमें से किन्हीं भी विनिश्चयों को कार्यान्वित किया जायेगा।

5. अनंतिम रजिस्ट्रीकरण.– (1) अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ, प्ररूप–1 में, धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जायेगा।

(2) प्राधिकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण को अनुदत्त करने से पूर्व कोई जांच नहीं करेगा और ऐसे आवेदन की प्राप्ति की तारीख से दस दिन की कालावधि के भीतर प्ररूप–2 में अनंतिम रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र आवेदक को अनुदत्त करेगा।

(3) प्राधिकरण, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने के पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर, दो स्थानीय समाचार पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर इसप्रकार अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां जिसमें नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धति, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स इत्यादि) के ब्यौरे सम्मिलित हैं, प्रकाशित करेगा।

6. स्थायी रजिस्ट्रीकरण.– (1) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन या तो व्यक्तिशः या डाक द्वारा या वेब आधारित ऑनलाइन सुविधा के माध्यम से, अनुसूची में विनिर्दिष्ट फीस के साथ प्ररूप–3 में, आवश्यक जानकारी भर कर और नैदानिक स्थापनों के विभिन्न प्रवर्गों के लिए न्यूनतम मानकों और कार्मिकों की अपेक्षाएं रखने वाले साक्ष्य के साथ धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण को किया जायेगा।

(2) जैसे ही नैदानिक स्थापन विहित न्यूनतम मानकों का अनुपालन किये जाने के अपेक्षित साक्ष्य प्रस्तुत करता है, प्राधिकरण तीस दिन की कालावधि के भीतर जनसाधारण से आक्षेप आमंत्रित करते हुए, दो स्थानीय समाचार पत्रों में और प्राधिकरण की वेब साइट पर प्ररूप–4 में सूचना प्रकाशित करेगा। ऐसी सूचना में नैदानिक स्थापन का नाम, पता, स्वामित्व, भारसाधक व्यक्ति का नाम, उपलब्ध औषध की पद्धति, उपलब्ध सेवाओं का प्रकार और प्रकृति और चिकित्सा कर्मचारिवृन्द (चिकित्सक, नर्स, इत्यादि) के ब्यौरों को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापन की समस्त विशिष्टियां अन्तर्विष्ट होंगी।

(3) यदि किसी व्यक्ति को नैदानिक स्थापन के संबंध में प्रकाशित सूचना पर कोई आक्षेप है तो वह प्राधिकरण को लिखित में कारण और आक्षेप या अननुपालन के साक्ष्य देगा।

(4) प्राधिकरण, नैदानिक स्थापन को प्राप्त आक्षेपों को, यदि कोई हों, पैंतालीस दिन की कालावधि के भीतर प्रत्युत्तर के लिए संसूचित करेगा।

7. सेवाओं के एक से अधिक प्रवर्ग के लिए आवेदन.– यदि नैदानिक स्थापन, अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (1) के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा यथा–वर्गीकृत एक से अधिक प्रवर्ग में सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है तो वह नैदानिक स्थापन द्वारा उपलब्ध करायी जा रही सेवाओं के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए पृथक अनंतिम या स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेगा। तथापि, यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देख–रेख उपलब्ध करा रहे किसी नैदानिक केन्द्र का भाग है तो उसके लिए कोई पृथक रजिस्ट्रीकरण अपेक्षित नही होगा।

8. आवेदन की अभिस्वीकृति.– धारा 10 के अधीन गठित प्राधिकरण या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी, प्ररूप–5 में अभिस्वीकृति पर्ची में उसी दिन, यदि व्यक्तिशः प्रस्तुत किया जाये या अगले कार्य दिवस के अपश्चात्, यदि डाक द्वारा प्राप्त हो, अनंतिम/स्थायी रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त/नवीकरण करने के लिए आवेदन की अभिस्वीकृति रसीद देगा और ऑनलाइन आवेदन की दशा में अभिस्वीकृति प्रणाली द्वारा स्वतः जनित की जायेगी।

9. रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र.– (1) प्राधिकरण अपना यह समाधान होने के पश्चात् कि आवेदक ने नैदानिक स्थापन को चलाने के लिए अपेक्षित न्यूनतम मानकों और कार्मिकों के उपबन्धों को सम्मिलित करते हुए समस्त अपेक्षाओं और मानदण्डों का अनुपालन कर लिया है, आवेदक को या तो डाक से या इलेक्ट्रोनिक रूप से प्ररूप–6 में स्थायी रजिस्ट्रीकरण का प्रमाणपत्र अनुदत्त करेगा।

(2) स्थायी रजिस्ट्रीकरण की दशा में, प्राधिकरण अधिनियम की धारा 29 के अधीन अनुज्ञात कालावधि के भीतर,–

(क) स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन को मंजूर करने, या

(ख) आवेदन को नामंजूर करने

का आदेश पारित करेगा:

परन्तु प्राधिकरण यदि स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए किसी आवेदन को नामंजूर करता है तो अपने न्यायोचित्यों और कारणों को अभिलिखित करेगा।

10. समाप्त रजिस्ट्रीकरण का प्रदर्शन.– प्राधिकरण, पन्द्रह दिन की कालावधि के भीतर उस नैदानिक स्थापन, जिसका अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण समाप्त हो गया है, का नाम दो स्थानीय समाचारपत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित करेगा।

11. प्रभारित की जाने वाली फीस.– (1) अनंतिम और स्थायी रजिस्ट्रीकरण, नवीकरण, विलम्बित आवेदन, प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति, स्थापन के स्वामित्व, प्रबंध या नाम के परिवर्तन के लिए ऐसी विभिन्न फीसें प्रभारित की जायेंगी जो अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं।

(2) सरकार (केन्द्र, राज्य या स्थानीय प्राधिकारी) या सरकार के विभाग द्वारा स्वामित्वाधीन, नियंत्रित और प्रबंधित नैदानिक स्थापन उप–नियम (1) में यथा–वर्णित फीस के संदाय से छूट–प्राप्त होंगे।

(3) फीस अधिनियम की धारा 14 की उप–धारा (1) या, यथास्थिति, धारा 24 के अधीन यथा–विनिर्दिष्ट सम्बन्धित प्राधिकरण के पक्ष में आहरित मांगदेय ड्राफ्ट या आनलाइन संव्यवहार द्वारा संदत्त की जायेगी।

12. स्वामित्व या प्रबंध में परिवर्तन.– स्वामित्व या प्रबंध के किसी परिवर्तन की दशा में, नैदानिक स्थापन अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस और प्रमाणपत्र के साथ, अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण का पुनरीक्षित प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए, ऐसे परिवर्तन के एक मास के

भीतर परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए, लिखित में [illegible] करेगा।

13. प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति.– अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के खो जाने, नष्ट हो जाने, विकृत हो जाने या उसकी क्षति हो जाने की दशा में नैदानिक स्थापन, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस के संदाय पर प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति जारी करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन करेगा।

14. रजिस्ट्रीकरण का नवीकरण.– (1) नैदानिक स्थापन, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से तीस दिन पूर्व अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि नियत कालावधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नही किया जाता है तो प्राधिकरण, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट नवीकरण फीस और विलंब फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए अनुज्ञात करेगा।

(2) नैदानिक स्थापन, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की विधिमान्यता की समाप्ति से छह मास पूर्व स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगा। यदि नियत कालावधि के भीतर नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस और विलंब फीस के संदाय पर रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए अनुज्ञात करेगा।

15. नैदानिक स्थापनों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना.– (1) नैदानिक स्थापन राष्ट्रीय कार्यक्रमों के सम्बन्ध में उसके द्वारा उपचारित मरीजों के चिकित्सा अभिलेख और स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी और आंकड़े संधारित करेगा और उसे प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा। संधारित किये जाने वाले न्यूनतम चिकित्सा अभिलेख और नैदानिक स्थापनों द्वारा उपलब्ध करायी जाने वाली सूचना की प्रकृति राष्ट्रीय परिषद् द्वारा विकसित रूपविधानों के अनुसार होगी।

(2) समस्त अभिलेखों और आंकड़ों की प्रतियां संबंधित नैदानिक स्थापनों द्वारा कम से कम तीन वर्ष के लिए या किसी अन्य सुसंगत विधि के अनुसरण में रखी जायेंगी। समस्त नैदानिक स्थापन आपात या आपदा या महामारी की स्थिति में सूचना या आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए उत्तरदायी होंगे।

(3) सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अन्य बीमारी को सम्मिलित करते हुए सूचना की प्रकृति, जो नैदानिक स्थापनों द्वारा विहित अन्तराल पर प्रस्तुत की जानी आवश्यक है, समय–समय पर अधिसूचित कर सकेगी।

16. प्रवेश करने की शक्ति.– (1) नैदानिक स्थापन में प्रवेश और उसकी तलाशी प्राधिकरण या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी या दल द्वारा या प्राधिकरण द्वारा जारी ऐसे सामान्य या विशेष आदेशों के अध्यधीन रहते हुए की जा सकेगी।

(2) नैदानिक स्थापनों में ऐसा प्रवेश और तलाशी ली जा सकेगी यदि कोई व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के बिना नैदानिक स्थापन चला रहा है या विहित न्यूनतम मानकों का पालन नहीं कर रहा है या यह विश्वास करने का युक्तियुक्त कारण है कि नैदानिक स्थापन का उपयोग उन प्रयोजनों, जिनके लिए वह रजिस्ट्रीकृत है, से भिन्न के लिए किया जा रहा है या इस अधिनियम और नियमों के किसी उपबन्ध का उल्लंघन हो रहा है।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत कोई अधिकारी या दल नैदानिक स्थापन को लिखित में निरीक्षण की तारीख और निरीक्षण के कारणों से सूचित करेगा और समस्त अभिलेख, रजिस्टर, दस्तावेज, नैदानिक स्थापन के लिए उपयोग में लिए जा रहे या उपयोग में लिए जाने के लिए प्रस्तावित परिसर का परीक्षण करेगा और उपस्करों, फर्नीचर और अन्य उपसाधनों का निरीक्षण करेगा और नियोजित या नियोजित किये जाने वाले तकनीकी कर्मचारिवृन्द की वृत्तिक अर्हताओं की जांच करेगा और ऐसी कोई अन्य जांच करेगा जो रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त करने के लिए आवेदन में किये गये कथनों को सत्यापित करने के लिए वे आवश्यक समझे।

(4) निरीक्षण अधिकारी या, यथास्थिति, निरीक्षण दल निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर, प्ररूप–8 में अपनी रिपोर्ट प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा और उसकी एक प्रति राज्य परिषद् को प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जाता है तो वह निरीक्षण के सात दिन की कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप–7 में निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

17. शास्ति.– अधिनियम के अधीन धनीय शास्ति के न्यायनिर्णयन के प्रयोजन के लिए, प्राधिकरण जांच करेगा और सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा। कोई जांच करते समय प्राधिकरण मामले के तथ्यों और परिस्थितियों से सुभिज्ञ किसी व्यक्ति को ऐसा साक्ष्य देने या कोई दस्तावेज पेश करने के लिए, जो प्राधिकरण की राय में जांच के लिए उपयोगी हो या उसकी विषय–वस्तु से सुसंगत हो, समन करेगा और हाजिर करायेगा और यदि ऐसी जांच पर प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि वह व्यक्ति अधिनियम के उपबन्धों का पालन करने में असफल रहा है और धनीय शास्ति का दायी है तो वह आदेश द्वारा अधिनियम में विनिर्दिष्ट धनीय शास्ति अधिरोपित कर सकेगा।

18. अपीलें.– (1) प्राधिकरण के,–

(i) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को अनुदत्त या नवीकृत करने से इन्कार करने या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रतिसंहरण करने वाले आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस के साथ, ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर, राज्य परिषद् को प्ररूप–8 में अपील फाइल कर सकेगा।

(ii) धारा 41 या 42 के अधीन पारित आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अनुसूची में यथा–विनिर्दिष्ट फीस के साथ उक्त धारा में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर राज्य परिषद् को प्ररूप–8 में कोई अपील फाइल कर सकेगा।

(2) अपील प्राप्त होने के पश्चात् राज्य परिषद् सुनवाई के लिए समय और तारीख नियत करेगी और मामले की सुनवाई के लिए कम से कम पन्द्रह दिन का समय देते हुए रजिस्ट्रीकृत पत्र द्वारा अपीलार्थी और अन्य संबंधित व्यक्तियों को सूचित करेगी।

(3) अपीलार्थी स्वयं या प्राधिकृत व्यक्ति या किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व कर सकेगा और अपील के समर्थन में सुसंगत दस्तावेजी सामग्री, यदि कोई हो, प्रस्तुत कर सकेगा।

(4) राज्य परिषद् समस्त संबंधित व्यक्तियों को सुनेगी, उनके द्वारा प्रस्तुत सुसंगत मौखिक/दस्तावेजी साक्ष्य ग्रहण करेगी, अपील पर विचार करेगी और अधिमानतः अपील फाइल करने की तारीख से 90 दिन के भीतर अपने विनिश्चय से संसूचित करेगी।

(5) यदि राज्य परिषद् का यह विचार है कि मामले में कोई अंतरिम आदेश आवश्यक है तो वह अपील के अंतिम निस्तारण के लंबित रहते हुए ऐसा आदेश पारित कर सकेगी।

(6) राज्य परिषद् के विनिश्चय अन्तिम और बाध्यकारी होंगे।

प्ररूप–1

(नियम 5 देखिए)

नैदानिक स्थापनों के अनंतिम रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

1. स्थापन/डॉक्टर का नाम (एकल व्यवसायी की दशा में) : _____

2. पता : _____

गांव/नगर : _____

तालुका : _____ जिला : _____

राज्य : _____ पिन कोड : _____

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : _____ मोबाइल : _____

वेबसाइट (यदि कोई हो) : _____

3. स्वामी का नाम : _____

पता : _____

गांव/नगर : _____

तालुका : _____ जिला : _____

राज्य : _____ पिन कोड : _____

दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : _____ मोबाइल : _____

ई-मेल पता : _____

3 क. भारसाधक व्यक्ति का नाम और अर्हताएं : _____

4. स्वामित्व

(क) पब्लिक सेक्टर : ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ स्थानीय शासन ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(ख) प्राइवेट सेक्टर : ☐ व्यक्तिगत स्वामित्व ☐ रजिस्ट्रीकृत भागीदारी ☐ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी ☐ सहकारी सोसाइटी ☐ न्यास ☐ पूर्त ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

5. औषध की उपलब्ध पद्धतियां : (जो लागू हो उस पर चिह्न लगाएं) : ☐ ऐलोपैथी ☐ आयुर्वेद ☐ यूनानी ☐ सिद्ध ☐ होम्योपैथी ☐ योग और प्राकृतिक चिकित्सा

6. उपलब्ध करवायी गयी सेवाएं : (जो लागू हों उस पर चिह्न लगाएं) ☐ अंतरंग रोगी ☐ बाह्य रोगी ☐ प्रयोगशाला ☐ इमेजिंग केन्द्र ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(क) नैदानिक सेवाओं का प्रवर्ग : ☐ सामान्य ☐ एकल विशेषता ☐ बहु विशेषता ☐ सुपर विशेषता

7. स्थापन का प्रकार : (जो लागू हो उस पर चिह्न लगाएं)

(क) अंतरंग रोगी : ☐ अस्पताल ☐ परिचर्या गृह ☐ प्रसूति गृह ☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सेनिटोरियम ☐ डे केयर सेन्टर

(ख) बिस्तरों की संख्या :

(ग) बाह्य रोगी : ☐ एकल व्यवसायी ☐ पॉलीक्लिनिक ☐ उप-केन्द्र ☐ फिजियोथैरेपी क्लिनिक ☐ व्यावसायिक चिकित्सा ☐ बाँझपन क्लिनिक ☐ दन्त क्लिनिक ☐ औषधालय ☐ डायलिसिस केन्द्र ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(घ) प्रयोगशाला : ☐ विकृति विज्ञान ☐ रूधिर विज्ञान ☐ जैव रसायन विज्ञान ☐ सूक्ष्म-जीवविज्ञान ☐ आनुवांशिकी ☐ संग्रहण केन्द्र ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(ङ) इमेजिंग केन्द्र : कृपया विनिर्दिष्ट करें : _____

विशेष निदान : कृपया विनिर्दिष्ट करें : _____

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि मैं ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा।

दिनांक और स्थान

प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप–2

(नियम 5 देखिए)

नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए अनंतिम प्रमाणपत्र

अनंतिम प्रमाणपत्र सं. : (कम्प्यूटर जनित)

जारी करने की तारीख : (कम्प्यूटर जनित)

_____ तक मान्य : (कम्प्यूटर जनित)

1. नैदानिक स्थापन का नाम : _____
2. पता : _____
3. नैदानिक स्थापन का स्वामी : _____
4. भारसाधक व्यक्ति का नाम : _____
5. औषध की पद्धति : _____
6. स्थापन का प्रकार : _____

को, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन इसके द्वारा, अनंतिम रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा–विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

जारी करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम
(कम्प्यूटर जनित)
स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित)

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
पता :
शिकायत की दशा में दूरभाष संख्यांक

प्ररूप–3
(नियम 6 देखिए)

नैदानिक स्थापनों के स्थायी रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन प्ररूप

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण सं. : _____

अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने की दिनांक : _____

_____ तक विधिमान्य

1. स्थापन/डॉक्टर का नाम (एकल व्यवसायी की दशा में) : _____
2. पता : _____
   गांव/नगर : _____
   तालुका : _____ जिला : _____
   राज्य : _____ पिन कोड : _____
   दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : _____ मोबाइल : _____
   वेबसाइट (यदि कोई हो) : _____

3. स्वामी का नाम : _____
   पता : _____
   गांव/नगर : _____
   तालुका : _____ जिला : _____
   राज्य : _____ पिन कोड : _____
   दूरभाष सं. (एसटीडी कोड के साथ) : _____ मोबाइल : _____
   ई–मेल पता : _____

3 क. भारसाधक व्यक्ति का नाम और अर्हताएं : _____

4. स्वामित्व
   (क) पब्लिक सेक्टर : ☐ केंद्रीय सरकार ☐ राज्य सरकार ☐ स्थानीय शासन ☐ पब्लिक सेक्टर उपक्रम ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट

करें) : _____

(ख) प्राइवेट सेक्टर : ☐ व्यक्तिगत स्वामित्व ☐ रजिस्ट्रीकृत भागीदारी ☐ रजिस्ट्रीकृत कम्पनी ☐ सहकारी सोसाइटी ☐ न्यास/पूर्त ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

5. औषध की उपलब्ध पद्धतियां : (जो लागू हों उस पर चिह्न लगाएं) :

☐ ऐलोपैथी ☐ आयुर्वेद ☐ यूनानी ☐ सिद्ध ☐ होम्योपैथी ☐ योग और प्राकृतिक चिकित्सा

6. उपलब्ध करवायी गयी सेवाएं : (जो लागू हो उस पर चिह्न लगाएं)

☐ अंतरंग रोगी ☐ बाह्य रोगी ☐ प्रयोगशाला/इमेजिंग केन्द्र ☐ कोई अन्य (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(क) नैदानिक सेवाओं का प्रवर्ग : ☐ सामान्य ☐ एकल विशेषता ☐ बहु विशेषता ☐ सुपर विशेषता

7. स्थापन का प्रकार : (जो लागू हो उस पर चिह्न लगाएं)

(क) अंतरंग रोगी : ☐ अस्पताल ☐ परिचर्या गृह ☐ प्रसूति गृह ☐ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ☐ सेनेटोरियम ☐ डे केयर सेन्टर

(ख) बिस्तरों की संख्या :

(ग) बाह्य रोगी : ☐ एकल व्यवसायी ☐ पॉलीक्लिनिक ☐ उप-केन्द्र ☐ फिजियोथैरेपी क्लिनिक ☐ व्यावसायिक चिकित्सा ☐ बाँझपन क्लिनिक ☐ दन्त क्लिनिक ☐ औषधालय ☐ डायलिसिस केन्द्र ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(घ) प्रयोगशाला : ☐ विकृति विज्ञान ☐ रूधिर विज्ञान ☐ जैव रसायन विज्ञान ☐ सूक्ष्म-जीवविज्ञान ☐ आनुवंशिकी ☐ संग्रहण केन्द्र ☐ अन्य कोई (कृपया विनिर्दिष्ट करें) : _____

(ङ) इमेजिंग केन्द्र : कृपया विनिर्दिष्ट करें : _____

विशेष निदान : कृपया विनिर्दिष्ट करें : _____

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूं कि उपर्युक्त कथन मेरी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार सत्य और सही है और नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन समस्त नियमों और घोषणाओं का पालन करूंगा। मैं वचन देता हूं कि ऊपर दी गयी विशिष्टियों में किसी परिवर्तन की दशा में इसकी सूचना समुचित रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को दूंगा। विस्तृत सूचना :- अनंतिम रजिस्ट्रीकरण जारी करने के पश्चात् निरीक्षण दल द्वारा कोई शिकायत और प्रतिकूल रिपोर्ट।

संलग्न : अनंतिम रजिस्ट्रीकरण की फोटो प्रति

दिनांक और स्थान : प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता के हस्ताक्षर

प्ररूप-4

(नियम 6 देखिए)

सूचना

आक्षेप फाइल करने के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रास्थिति का संप्रदर्शन

मैं .....नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन प्राधिकारी होते हुए, धारा 24 के अधीन दिनांक .....से..... तक की कालावधि के दौरान प्राप्त आवेदनों पर विचार करने के पश्चात्, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 के उपबन्धों के समाधान के लिए.....जिले की अधिकारिता के भीतर नैदानिक स्थापनों की सूची, इसके द्वारा प्रकाशित करता हूं :-

क्रम सं.	नैदानिक स्थापन का नाम और पता	स्वामित्व/प्रभारी	औषध की पद्धति	दिनांक जिसको आवेदन प्रस्तुत किया गया	प्रवर्ग और अनुपालन किये गये मानक

उपर्युक्त सूची के सम्बन्ध में आक्षेप, यदि कोई हो, अधिनियम की धारा 26 के अधीन यथा-अपेक्षित इस सूचना की तारीख से 30 दिन के भीतर

लिखित में दो प्रतियों में.....(प्राधिकारी का पता) .....को सम्बोधित किये जा सकेंगे।

स्थान :
दिनांक :

हस्ताक्षर :
नाम :
(प्राधिकारी की मुहर)

प्ररूप–5
(नियम 8 देखिए)
अभिस्वीकृति
नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक .....को.....(स्वामी का नाम और पता) .....द्वारा प्रस्तुत नैदानिक स्थापन अनुदत्त करने/अनंतिम /स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप.....में आवेदन प्राप्त किया गया तथा

पूर्ण
या
अपूर्ण
पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण के लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम

जारी करने वाले प्राधिकारी का
पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित)
मुहर

स्थान और तारीख
(कम्प्यूटर जनित)

प्ररूप–6
(नियम 6 देखिए)
नैदानिक स्थापन के रजिस्ट्रीकरण के लिए स्थायी प्रमाणपत्र

स्थायी रजिस्ट्रीकरण सं. : (कम्प्यूटर जनित)
जारी करने की तारीख : (कम्प्यूटर जनित)

_____ तक विधिमान्य : (कम्प्यूटर जनित)

1. नैदानिक स्थापन का नाम : _____
2. पता : _____
3. नैदानिक स्थापन का स्वामी : _____
4. भारसाधक व्यक्ति का नाम : _____
5. औषध की पद्धति : _____
6. स्थापन का प्रकार : _____

को, नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के उपबन्धों के अधीन, इसके द्वारा, स्थायी रूप से रजिस्ट्रीकृत किया जाता है।

यह प्राधिकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 और तदधीन बने नियमों के अधीन प्रवृत्त नियमों में यथा-विनिर्दिष्ट शर्तों के अध्यधीन है।

जारी करने वाले प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और पदनाम (कम्प्यूटर जनित)
मुहर

स्थान और तारीख (कम्प्यूटर जनित)
जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी
पता :
शिकायत की दशा में दूरभाष संख्यांक

प्ररूप-7
(नियम 16 देखिए)
निरीक्षण रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के लिये रूपविधान

तारीखों के साथ किये गये निरीक्षणों की संख्या
निरीक्षण दल के सदस्यों के नाम और ब्योरे
निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का नाम
निरीक्षण किये गये नैदानिक स्थापन का पता और संपर्क ब्योरे
निरीक्षण के लिये अनुसरण की गयी प्रक्रिया (यथा कृपया बतायें किसके साथ संपर्क किया गया, कौन से अभिलेखों का परीक्षण किया गया इत्यादि)
प्रमुख संप्रेक्षण/जांच परिणाम
निष्कर्ष
विनिर्दिष्ट सिफारिशें :
(1) नैदानिक स्थापन को
(2) जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण को

* निरीक्षण दल के सदस्यों के बीच मतैक्य की कमी की दशा में, कृपया इसे उपदर्शित करें।

हस्ताक्षर
(निरीक्षण दल में समस्त सदस्यों के)

दिनांक :
स्थान :

प्ररूप–8
(नियम 18 देखिए)
अपील के लिए आवेदन

सेवामें,

राज्य परिषद,
.....सरकार.

महोदय,

मैं, डॉ. .....ने नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 के अधीन मेरे.....स्थित..... के रजिस्ट्रीकरण के लिये आवेदन किया था/रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र सं. .....का धारक हूं।

मुझे जिला प्राधिकारी के पत्र सं. .....दिनांक..... के द्वारा सूचित किया गया था कि :

(i) कि मेरा आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया है; या
(ii) कि मेरा रजिस्ट्रीकरण रद्द कर दिया गया है; या
(iii) कि मुझे नैदानिक स्थापन के चलाये जाने से अवरुद्ध कर दिया गया है; या
(iv) कि मुझे अधिनियम के अधीन अपराध के लिये शास्ति से आरोपित किया गया है; या
(v) अन्य कोई.....

जिला प्राधिकरण का उपरोक्त विनिश्चय विधिमान्य प्रतीत नहीं होता है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि नीचे वर्णित न्यायोचित्यों के अनुसार मेरे आवेदन पर विचार किया जाये;

(i) .....
(ii) .....
(iii) .....

मैं व्यक्तिगत सुनवाई, यदि आवश्यक हो, के लिए आपके समक्ष उपस्थित होने के लिये रजामन्द हूं। मैं इसके साथ रू. 5000/- का ड्राफ्ट संलग्न कर रहा हूं।

स्थान :
दिनांक

धन्यवाद,
हस्ताक्षर :
नाम :

अनुसूची
(नियम 11 देखिए)
प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	नगरीय		ग्रामीण		महानगर	
	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी
बाह्य रोगी देखरेख	100	500	50	250	200	1000
अंतरंग रोगी देखरेख						
1 से 30 बिस्तर	100	500	50	250	200	1000
30 से 100 बिस्तर	200	1000	100	500	400	2000
100 बिस्तरों से अधिक	300	1500	150	650	600	3000
जांच और निदान						
प्रयोगशाला	200	1000	100	500	400	2000
नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र	300	1500	150	650	600	3000

अन्य फीसें :

(i) नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा (अनंतिम/स्थायी)

(ii) विलम्बित आवेदन के लिए नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण (अनंतिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 100/- रुपये प्रतिदिन की विलंब फीस प्रभारित की जायेगी।

(iii) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/- रुपये होगी।

(iv) स्थापन के स्वामित्व पता और नाम के परिवर्तन के लिए रकम 100/- रुपये होगी।

(v) अन्य अपील के लिए रकम 5000/- रुपये होगी।

टिप्पणः यदि प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देखरेख उपलब्ध करवाने वाले किसी स्थापन का भाग है तो किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।

[संख्या प.16(5)चिस्वा/2/99pt]
राज्यपाल के आदेश से,
अल्पा चौधरी,
शासन उप सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान जयपुर।

Department of Medical & Health (Group-2) Department

NOTIFICATION

Jaipur, June 5, 2013

G.S.R. 16 .- In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called the Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration and Regulation) Rules, 2013.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) "Act" means the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act 2010;

(b) "Form" means form appended to these rules;

(c) "Schedule" means Schedule appended to these rules; and

(d) "Section" means section of the Act.

(2) Words and expressions used and not defined in these rules, but defined in the Act. shall have the same meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Conduct of business of State Council.- (1) Every meeting of the State Council, constituted under section 8, shall be presided over by the Chairman.

(2) The meetings of the State Council shall ordinarily be held at Jaipur on such dates as may be fixed by the Chairman. The State Council shall meet at least once in three months.

(3) The notice and agenda of every meeting of the State Council shall be circulated by the Member Secretary to each member of the State Council ordinarily seven days before the meeting.

(4) The Chairman may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the State Council at the shortest notice, normally not less than three days.

(5) One-third of the total number of members of the State Council shall form a quorum and all actions of the State Council shall be decided by a majority of the members present and voting.

(6) The proceedings of the meetings of the State Council shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairman.

(7) A copy the minutes of each meeting of the State Council shall be submitted to the Chairman within seven days of the meeting and after having been approved by him/her shall be sent to each member of the State Council within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.

4. Conduct of business of District Registering Authority.- (1) Every meeting of the Authority, constituted under section 10, shall be presided over by the Chairperson.

(2) The notice and agenda of every meeting of the Authority shall be circulated by the Convener to each member of the Authority ordinarily seven days before the meeting.

(3) The Chairperson may, at any time, at his discretion, convene a special meeting of the Authority at the shortest notice, normally not less than three days.

(4) One-third of the total number of members of the Authority shall form a quorum and all actions of the Authority shall be decided by a majority of the members present and voting.

(5) The proceedings of the meetings of the Authority shall be preserved in the form of minutes which shall be authenticated by the Chairperson.

(6) A copy the minutes of each meeting of the Authority shall be submitted to the Chairperson by the Convener within seven days of the meeting and after having been attested by him shall be sent to each member of the Authority within fifteen days of the meeting. If no objection to their correctness is received within ten days, any decisions therein shall be given effect.

5. Provisional registration.- (1) The application for provisional registration shall be made to the Authority, constituted

under section 10. in Form-1 along with the fee specified in Schedule. either in person or by post or through web based online facility.

(2) The Authority shall not undertake any enquiry prior to the grant of provisional registration and shall within a period of ten days from the date of receipt of such application, grant to the applicant a certificate of provisional registration in Form-2.

(3) The Authority shall. within a period of forty-five days from the grant of provisional registration. publish, in two local newspapers and on the website of the Authority. all particulars of clinical establishment, so registered provisionally, including the name of the clinical establishment, address. ownership, name of person in charge, system of medicine offered, type and nature of services offered and details of the medical staff (Doctors, Nurses, etc.).

6. Permanent Registration.- (1) The application for permanent registration shall be made to the Authority, constituted under section 10. in Form-3 along with the fee specified in Schedule. either in person or by post or through web based online facility with the necessary information filled and with evidence of having the requirements of minimum standards and personnel for different categories of clinical establishments.

(2) As soon as the clinical establishment submits the required evidence of having complied with the prescribed minimum standards, the Authority shall publish notice, in Form-4, in two local newspapers and on the website of the Authority, inviting objection from public at large within a period of thirty days. Such notice shall contain all particulars of clinical establishment including the name of the clinical establishment, address. ownership. name of person in charge, system of medicine offered, type and nature of services offered. details of the medical staff (Doctors. Nurses. etc).

(3) If any person has any objection to the information published regarding the clinical establishment. he shall give in writing the reasons and evidence of objection or non-compliance to the Authority.

(4) The Authority shall communicate to the clinical establishment the objections received, if any. for response within a period of forty five days.

7. Application for more than one category of services.- If a clinical establishment is offering services in more than one category as classified by the Central Government under sub-

section (1) of section 13 of the Act, it shall apply for a separate provisional or permanent registration for each category of services offered by the clinical establishment. However, if a laboratory or diagnostic center is a part of clinical establishment providing outpatient / inpatient care, no separate registration shall be required.

8. Acknowledgement of Application.- The Authority, constituted under section 10, or any officer/employee authorised by him, shall, acknowledge receipt of the application for grant/renewal of Provisional/Permanent registration, in the acknowledgement slip in Form-5, same day if submitted in person or not later than the next working day, if received by post and in case of online application, acknowledgement shall be generated automatically by the system.

9. Certificate of registration.- (1) The Authority shall grant the applicant a certificate of permanent registration in Form-6 either by post or electronically after satisfying itself that the applicant has complied with all the requirements and criteria, including provisions of minimum standards and personnel required to run the clinical establishment.

(2) In case of permanent registration, the Authority shall pass an order within the period allowed under section 29 of the Act,-

(a) allowing the application for permanent registration; or

(b) disallowing the application:

Provided that the authority shall record its justifications and reasons, if it disallows an application, for permanent registration.

10. Display of expired registration.- The Authority shall, within a period of fifteen days shall publish in two local newspapers and on the website of the Authority, the name of the clinical establishment whose Provisional or Permanent registration, as the case may be, has expired.

11. Fees to be charged.- (1) The various fees for provisional and permanent registration, renewal, late application, duplicate certificate, change of ownership, management or name of establishment shall be charged as specified in Schedule.

(2) The clinical establishments owned, controlled and managed by the Government (Central, State or Local Authority) or Department of Government, shall be exempted from payment of fees as mentioned in sub-rule (1).

(3) The fee shall be paid by a demand draft drawn / online

transaction in favour of the Authority concerned as specified under sub-section (1) of section 14 or section 24 of the Act, as the case may be.

12. Change of ownership or management.- In the event of any change of ownership or management, the clinical establishment shall intimate to the Authority in writing within one month of such change along with the fees as specified in Schedule and certificate, for grant of a revised certificate of Provisional or Permanent registration, as the case may be, incorporating the changes.

13. Duplicate certificate.- In the event of certificate of registration Provisional or Permanent, as the case may be, being lost, destroyed, mutilated or damaged, the clinical establishment shall apply to the Authority to issue a duplicate certificate upon payment of fees as specified in Schedule.

14. Renewal of Registration.- (1) The clinical establishment shall apply for renewal of provisional registration thirty days before the expiry of the validity of the certificate of provisional registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the Authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal fee and late fee as specified in Schedule.

(2) The clinical establishment shall apply for renewal of permanent registration six months before the expiry of the validity of the certificate of permanent registration. In case the application for renewal is not submitted within the stipulated period, the Authority shall allow for renewal of registration on payment of the renewal fee and late fee as specified in Schedule.

15. Information to be provided by Clinical Establishments.- (1) The clinical establishments shall maintain medical records of patients treated by it and health information and statistics in respect of national programmes and furnish the same to the Authorities. The minimum medical records to be maintained and nature of information to be provided by the clinical establishments shall be as per the formats developed by the National Council.

(2) Copies of all records and statistics shall be kept by the clinical establishment concerned at least for three years or in accordance with any other relevant law. All clinical establishments shall be responsible for submission of information and statistics in the time of emergency or disaster or epidemic situation.

(3) The Government may notify from time to time, the nature of information that needs to be furnished by the clinical establishments including other disease notified for this purpose along with the prescribed interval.

16. Power to Enter.- (1) Entry and search of the clinical establishment may be made by the Authority or an officer or team duly authorised by it or subject to such general or special orders, issued by the Authority.

(2) Such entry and search of clinical establishments may be made, if anyone is carrying on a clinical establishment without registration or does not adhere to the prescribed minimum standards or has reasonable cause to believe that the clinical establishment is being used for purposes other than it is registered or contravenes any of the provisions of this Act and rules.

(3) The Authority or an officer or team duly authorised by it shall intimate the clinical establishment in writing about the date of visit and reasons for the inspection and shall examine all record, register, document, premises used or proposed to be used for the clinical establishment and inspect the equipments, furniture and other accessories and enquire into the professional qualifications of the technical staff employed or to be employed and shall make any such other enquires as they consider necessary to verify the statements made in the application for grant of certificate of registration.

(4) The inspecting officer or inspecting team, as the case may be, shall submit its report in Form-8, within a period of seven days of inspection, to the Authority, with a copy to the State Council. In case the inspection is made by the Authority, it shall submit inspection report within a period of seven days of inspection, to the State Council in Form-7.

17. Penalty.- For the purpose of adjudging monetary penalty under the Act, the Authority shall hold an inquiry and provide opportunity of being heard. While holding an inquiry the Authority shall summon and enforce the attendance of any person acquainted with the fact and circumstances of the case to give evidence or to produce any document which in the opinion of the Authority, may be useful for or relevant to the subject matter of the inquiry and if, on such inquiry, the Authority is satisfied that the person has failed to comply with the provisions of the Act and liable for monetary penalty, it may by order impose the monetary penalty specified in the Act.

18. Appeals.- (1) Any person, aggrieved by an order of the Authority.-

(i) refusing to grant or renew a certificate of registration or revoking a certificate of registration, may file an appeal in Form-8 to the State Council within thirty days from the date of receipt of such order along with a fee as specified in Schedule.

(ii) passed under section 41 or 42, may file an appeal in Form-8 to the State Council within a period specified in the said section along with a fee as specified in Schedule.

(2) After receipt of the appeal, the State Council shall fix the time and date for hearing and inform the same to the appellant and other concerned by a registered letter giving at least fifteen days time for hearing of the case.

(3) The appellant may represent by himself or authorised person or a Legal practitioner and submit the relevant documentary material if any in support of the appeal.

(4) The State Council shall hear all the concerned, receive the relevant oral/documentary evidence submitted by them, consider the appeal and communicate its decision preferably within 90 days from the date of filing the appeal.

(5) If the State Council considers that an interim order is necessary in the matter, it may pass such order, pending final disposal of the appeal.

(6) The decisions of State Council shall be final and binding.

Form -1
(See rule 5)

Application Form for Provisional Registration of Clinical Establishments

1. Name of the Establishment/ Doctor (in case of single practitioner): _____

2. Address:
Village/Town: _____
Taluka: _____ District: _____
State: _____ Pin code _____
Tel No (with STD code): _____ Mobile: _____

Website (if any): _____

3. Name of the owner: _____
Address: _____
Village/Town: _____
Taluka: _____ District: _____
State: _____ Pin code _____
Tel No (with STD code): _____ Mobile: _____
Email ID : _____

3a. Name of Person in charge and Qualifications: _____

4. Ownership

(a) Public Sector: ☐ Central government ☐ State government ☐ Local government ☐ Public Sector Undertaking ☐ any other (please specify): _____

(b) Private Sector: ☐ Individual Proprietorship ☐ Registered Partnership ☐ Registered Company ☐ Co-operative Society ☐ Trust ☐ Charitable ☐ any other (please specify): _____

5. Systems of Medicine offered: (please tick whichever is applicable):

Allopathy ☐ Ayurveda ☐ Unani ☐ Siddha ☐ Homeopathy ☐ Yoga & ☐ Naturopathy

6. Services Provided: (please tick whichever is applicable)

Inpatient ☐ Outpatient ☐ Laboratory ☐ Imaging Centre ☐ any other (please specify): _____

(a) Category of Clinical Services: ☐ General ☐ Single Specialty ☐ Multi Specialty ☐ Super Specialty

7. Type of Establishment: (please tick whichever is applicable)

(a) Inpatient: ☐ Hospital ☐ Nursing Home ☐ Maternity Home ☐ Primary Health Centre ☐ Community Health Centre ☐ Sanatorium ☐ Day Care centre

(b) Number of Beds: _____

c) Outpatient: ☐ Single practitioner ☐ Polyclinic ☐ Sub-Centre ☐ Physiotherapy Clinic ☐ Occupational Therapy ☐ Infertility clinic ☐ Dental clinic ☐ Dispensary ☐ Dialysis Centre ☐ Any other (please specify):_____

d) Laboratory: ☐ Pathology ☐ Hematology ☐ Biochemistry ☐ Microbiology ☐ Genetics ☐ Collection Centre ☐ Any other (please specify):_____

e) Imaging Centre: please specify:_____

Special diagnostics: Please specify: _____

I hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and sha abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010. I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Date & Place: Signature of the Authorized Signatory

Form 2
(See rule 5)

PROVISIONAL CERTIFICATE FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

Provisional registration No: *(Computer Generated)*

Date of issue: *(Computer Generated)*

Valid up to: *(Computer Generated)*

1. Name of the Clinical Establishment: _____
2. Address: _____
3. Owner of the Clinical Establishment: _____
4. Name of Person in Charge: _____
5. System of Medicine : _____
6. Type of Establishment: _____

is hereby provisionally registered under the provisions of Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation). Act 2010 and the Rules made there under.

Designation & Signature
of the issuing Authority *(Computer Generated)*

Place & Date: *(Computer Generated)*

District Registration Authority
Address:

Phone number in case of Grievances

Form –3
(See rule 6)

Application Form for Permanent Registration of Clinical Establishments

Provisional Registration No: _____
Date of issue of Provisional Registration: _____
Valid up to: _____
1. Name of the Establishment: / Doctor (in case of single practitioner _____
2. Address: _____
Village/Town: _____
Taluka: _____
State: _____ District: _____
Tel No (with STD code): _____ Pin code _____
Website (if any): _____ Mobile _____
3. Name of the owner: _____
Address: _____

Village/Town:_____

Taluka:_____ District: _____

State: _____ Pin code_____

Tel No (with STD code):_____Mobile: _____

Email ID : _____

3a) Name of Person in charge and Qualifications: _____

4. Ownership

a) Public Sector: ☐ Central government ☐ State government ☐ Local government ☐ Public Sector Undertaking ☐ Any other (please specify): _____

b) Private Sector ☐ Individual Proprietorship ☐ Registered Partnership ☐ Registered Company ☐ Co-operative Society ☐ Trust/Charitable ☐ Any other (please specify): _____

5. Systems of Medicine offered: (please tick whichever is applicable)

☐ Allopathy ☐ Ayurveda ☐ Unani ☐ Siddha ☐ Homeopathy ☐ Yoga & Naturopathy

6.Services Provided: (please tick whichever is applicable)

☐ Inpatient ☐ Outpatient ☐ Laboratory / Imaging Centre ☐ Any other (please specify):_____

a) Category of Clinical Services: ☐ General ☐ Single Specialty ☐ Multi Specialty Super Specialty

7. Type of Establishment:(please tick whichever is applicable)

a) Inpatient: ☐ Hospital ☐ Nursing Home ☐ Maternity Home ☐ Primary Health Centre ☐ Community Health Centre ☐ Sanatorium ☐ Day Care centre

b) Number of Beds: _____

c) Outpatient: ☐ Single practitioner ☐ Polyclinic ☐ Sub-Centre ☐ Physiotherapy Clinic ☐ Occupational Therapy ☐ Infertility clinic ☐ Dental clinic ☐ Dispensary ☐ Dialysis Centre ☐ Any other (please specify):_____

d) Laboratory: ☐ Pathology ☐ Haematology ☐ Biochemistry ☐ Microbiology ☐ Genetics Collection Centre ☐ Any other (please specify):_____

e) Imaging Centre: please specify:_____

Special diagnostics: Please specify: _____

I hereby declare that the statements above are correct and true to the best my knowledge and shall abide by all the rules and declarations under the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act 2010. I undertake that I shall intimate to the appropriate registering authority any change in the particulars given above.

Detail information:-Any complain and adverse report by inspection team after issue of Provisional Registration.

Enclosed: Photo copy of Provisional Registration.

Date & Place:

Signature of the Authorized Signatory

Form -4

(See rule 6)

Notice

Display of registration status for filing objections

I, ...being the authority under the Clinical Establishments Act, 2010 after considering the applications received during the period; from..... to ..... under Section 24 satisfying the provisions of the Clinical Establishments (Registration & Regulation) Act, 2010 and the Clinical Establishments (Registration & Regulation) Rules, 2013 made theirunder, hereby publish the list of Clinical Establishments within the jurisdiction of .....district.

Serial no.	Name of Clinical Establishment with address	Ownership / In charge	System of medicine	Date on which application was submitted	Category standards complied with

Objections if any, in writing to the above list may be addressed in duplicate to .....

(address of the authority) within 30 days. from the date of this notice, as required under section 26 of the Act.

Place:
Date:

Signature:
Name:
(Seal of the authority)

Form –5
(See rule 8)

ACKNOWLEDGEMENT
REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

The application in Form __ for Grant / Renewal of Provisional / Permanent registration of the Clinical Establishment submitted by _____ (Name and address of Owner) has been received by the District Registration Authority on _____ (date) and found to be

Complete

Or

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.
Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

Designation & Signature
of the Issuing Authority *(Computer Generated)*
SEAL

Place & Date: *(Computer Generated)*

Form –6
(See rule 6)
PERMANENT CERTIFICATE
FOR REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

Permanent Registration No: *(Computer Generated)*
Date of issue: *(Computer Generated)*
Valid up to: *(Computer Generated)*

1. **Name of the Clinical Establishment:** _____
2. **Address:** _____
3. **Owner of the Clinical Establishment:** _____
4. **Name of Person in Charge:** _____
5. **System of Medicine :** _____
6. **Type of Establishment:** _____

is hereby permanently registered under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 and the Rules made there under.

This authorization is subject to the conditions as specified in the rules in force under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010 and the Rules made there under.

Designation & Signature
of the Issuing Authority *(Computer Generated)*
SEAL

Place & Date: *(Computer Generated)*
District Registration Authority
Address:

Phone number in case of Grievances

Form –7
(See rule 16)

Format for Submission of Inspection Report

Number of visits made with dates

Names and details of members of the inspection team

Name of clinical establishment visited

Address and contact details of clinical establishment visited

Process followed for inspection (e.g. kindly outline who was met with, what records were examined, etc)

Salient Observations / Findings
Conclusions
Specific Recommendations:
(1) To the Clinical Establishment
(2) To the District Registering Authority

In case of lack of consensus amongst members of the inspection team, the same may be kindly indicated

Signature
(of all members of the inspection team)

Date :
Place:

Form –8
(See rule 18)
Application for Appeal

To
The State Council,
Government of .....
Sir:

I, Dr....., of ..... had applied for registration / holder of registration certificate number ..... under the Clinical Establishments (Registration and Regulation) Act, 2010, for my ..... located at.....

I was communicated by the district authority as per letter no. ..... dated..... that either:

i) That my application was rejected

ii) That my registration is cancelled

iii) That I am restrained from carrying on with the running of clinical establishment

iv) That I am charged with a penalty for an offence under the Act

v) Any other .....

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you to consider my application as per the justifications mentioned below:

i) .....

ii) .....

iii) .....

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am enclosing herewith a draft of Rs. 5000/-

Thanking you,

Place:

Date: Signature:

Name:

SCHEDULE

(See rule 11)

Fees to be Charged

Description	Urban		Rural		Metro	
	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent	Provisional	Perma
Out Patient Care	100	500	50	250	200	100
In Patient Care:	100	500	50	250	300	100
1 to 30beds	200	1000	100	500	400	200
30 to 100 beds	300	1500	150	650	600	300
Above 100 beds						
Testing & Diagnostic: Laboratories	200	1000	100	500	400	200
Diagnostic & Imaging Centre	300	1500	150	650	600	300

iii) That I am restrained from carrying on with the running of clinical establishment

iv) That I am charged with a penalty for an offence under the Act

v) Any other .....

The above decision of the district authority appears to be not valid. I request you to consider my application as per the justifications mentioned below;

i) .....

ii) .....

iii) .....

I am willing to appear before you for a personal hearing, if necessary. I am enclosing herewith a draft of Rs. 5000/-

Thanking you,

Place:

Date:

Signature:

Name:

SCHEDULE
(See rule 11)
Fees to be Charged

Description	Urban		Rural		Metro	
	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent	Provisional	Permanent
Out Patient Care	100	500	50	250	200	1000
In Patient Care:	100	500	50	250	200	1000
1 to 30beds	200	1000	100	500	400	2000
30 to 100 beds	300	1500	150	650	600	3000
Above 100 beds						
Testing & Diagnostic: Laboratories	200	1000	100	500	400	2000
Diagnostic &	300	1500	150	650	600	3000

Other Fees:

(i) For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)

(ii) For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 100/- per day late fee upto the date of filling application for renewal of the registration (Provisional / Permanent) shall be charged.

(iii) For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 200/-.

(iv) For change of ownership, management or name of establishment, the amount shall be Rs. 100/.

(v) For any appeal the amount shall be Rs. 5000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate registration is required.

[No प. .16 (5) चिस्वा /2/99 Pt.]
By Order of the Governor,
अल्पा चौधरी,
Deputy Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

सत्यमेव जयते

राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

फाल्गुन 26, मंगलवार, शाके 1936–मार्च 17, 2015
Phalguna 26, Tuesday, Saka 1936–March 17,2015

भाग 4 (ग)

उप–खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, मार्च 16, 2015

जी.एस.आर. 63:– नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) अधिनियम, 2010 (2010 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 23) की धारा 54 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार, राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013 को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :–

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.– (1) इन नियमों का नाम राजस्थान नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015 है।

(2) ये तुरन्त प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 1 का संशोधन.– राजस्थान सरकार नैदानिक स्थापन (रजिस्ट्रीकरण और विनियमन) नियम, 2013, जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियमों के रूप में निर्दिष्ट किया गया है, के नियम 1 के उप–नियम (1) में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''सरकार'' हटाई जायेगी।

3. नियम 7 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 7 में, अन्त में आये विद्यमान विराम चिह्न ''।'' के पश्चात्, निम्नलिखित अभिव्यक्ति जोड़ी जायेगी, अर्थात् :–

''आवेदन एकल खिड़की सामर्थ्यकारी प्रणाली के माध्यम से भी प्राप्त और निस्तारित किये जा सकेंगे।''

4. नियम 8 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 8 में, विद्यमान अभिव्यक्ति ''प्ररूप–5 में अभिस्वीकृति पर्ची'' के स्थान पर अभिव्यक्ति ''प्ररूप–5 में सम्यक् रूप से भरी हुयी अभिस्वीकृति पर्ची'' प्रतिस्थापित की जायेगी।

5. नियम 10 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों के विद्यमान नियम के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"**10. रजिस्ट्रीकरण के अवसान के बारे में सूचना.–** प्राधिकरण नैदानिक स्थापन को, उसके अनंतिम या, यथास्थिति, स्थायी रजिस्ट्रीकरण के अवसान की तारीख के बारे में, प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रकाशित सूचना के माध्यम से सूचित करेगा। ऐसी सूचना, अनंतिम रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की दशा में अवसान की तारीख से तीस दिन पूर्व और स्थायी रजिस्ट्रीकरण की दशा में अवसान की तारीख से छह मास पूर्व प्रकाशित की जायेगी।"

6. नियम 11 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 11 के विद्यमान उप–नियम (3) के पश्चात्, निम्नलिखित नया उप–नियम (4) जोड़ा जायेगा, अर्थात् :–

"(4) सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिरोपित सभी कर और फीस इत्यादि नैदानिक स्थापन द्वारा संदत्त किये जायेंगे और नैदानिक स्थापन की स्थापना के पश्चात्, यदि कर या फीस इत्यादि की कोई अतिरिक्त रकम संदेय है तो प्राधिकरण ऐसे कर या फीस इत्यादि के संदाय में समन्वय करेगा।"

7. नियम 15 का संशोधन.– उक्त नियमों के नियम 15 के विद्यमान उप–नियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"(3) राज्य सरकार, इस प्रयोजन के लिए अधिसूचित अन्य बीमारी को सम्मिलित करते हुए नैदानिक स्थापनों द्वारा प्रस्तुत की जाने वाली अपेक्षित सूचना की प्रकृति, समय–समय पर, अधिसूचित कर सकेगी। ऐसी सूचना, राज्य सरकार द्वारा यथा विनिर्दिष्ट रीति और अंतरालों के भीतर विभाग की वेबसाइट पर अपलोड की जायेगी।"

8. प्ररूप–5 का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान प्ररूप–5 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"प्ररूप–5
(नियम 8 देखिए)

अभिस्वीकृति
नैदानिक स्थापन का रजिस्ट्रीकरण

जिला रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण द्वारा दिनांक .....को.....
.....(स्वामी का नाम और पता) द्वारा प्रस्तुत नैदानिक स्थापन अनुदत्त

करने/अनंतिम/स्थायी रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण के लिए प्ररूप..... आवेदन प्राप्त किया गया तथा

पूर्ण

या

अपूर्ण

पाया गया।

यह अभिस्वीकृति आवेदक को रजिस्ट्रीकरण अनुदत्त करने या नवीकरण व लिए कोई अधिकार प्रदत्त नहीं करती है।

रजिस्ट्रीकरण प्राधिकरण या समुचित प्राधिकरण के कार्यालय में के प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर और पदनाम।

जारी करने वाले प्राधिकारी का
पदनाम और हस्ताक्षर (कम्प्यूटर जनित)
मुहर

रसीद संख्यांक :
स्थान, तारीख और समय (कम्प्यूटर जनित)"

9. अनुसूची का प्रतिस्थापन.– उक्त नियमों से संलग्न विद्यमान अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :–

"अनुसूची
(नियम 11 देखिए)
प्रभारित की जाने वाली फीस

विवरण	नगरीय		ग्रामीण		महानगर	
	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी	अनंतिम	स्थायी
बाह्य रोगी देखरेख	–	200	–	100	100	500
अंतरंग रोगी देखरेख						
1 से 30 बिस्तर	–	200	–	100	100	500
30 से 100 बिस्तर	100	500	50	250	200	1000
100 बिस्तरों से अधिक	200	1000	100	300	300	1500

जांच और निदान

प्रयोगशाला	100	500	50	250	200	1
नैदानिक और इमेजिंग केन्द्र	200	1000	100	300	300	15

अन्य फीसें :

(i) नवीकरण के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस की रकम का आधा (अनंतिम/स्थायी)

(ii) विलम्बित आवेदन के लिए, नवीकरण फीस के साथ रजिस्ट्रीकरण (अनंतिम/स्थायी) के नवीकरण के लिए आवेदन फाइल करने की तारीख तक 50/– रूपये प्रतिदिन की विलम्ब फीस प्रभारित की जायेगी।

(iii) प्रमाणपत्र की दूसरी प्रति के लिए रकम 200/– रूपये होगी।

(iv) स्थापन के स्वामित्व, प्रबंध और नाम के परिवर्तन के लिए, रकम 100/– रूपये होगी।

(v) अन्य अपील के लिए रकम 1000/– रूपये होगी।

टिप्पण: यदि कोई प्रयोगशाला या निदान केन्द्र बाह्य रोगी/अंतरंग रोगी देखरेख उपलब्ध करवाने वाले किसी स्थापन का भाग है तो किसी पृथक रजिस्ट्रीकरण की आवश्यकता नहीं है।"

[संख्या प. 16(5) चिस्वा/2/99 पार्ट]
राज्यपाल के आदेश से,
महावीर सिंह,
संयुक्त शासन सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप–2) विभाग,
शासन सचिवालय, जयपुर।

DEPARTMENT OF HEALTH AND FAMILY WELFARE
NOTIFICATION

Jaipur, March 16, 2015

G.S.R. 63.– In exercise of the power conferred by section 54 of the Clinical Establishment (Registration and Regulation) Act, 2010 (Central Act No. 23 of 2010), the State Government hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan

Such information shall be uploaded on the web site of the department in the manner and with in such interval as may be specified by the State Government."

8. Substitution of Form-5.- The existing Form-5 appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"Form –5
(See rule 8)

ACKNOWLEDGEMENT
REGISTRATION OF CLINICAL ESTABLISHMENT

The application in Form ___ for Grant / Renewal of Provisional /Permanent registration of the Clinical Establishment submitted by _____ (Name and address of Owner) has been received by the District Registration Authority on _____ (date) and found to be

Complete

Or

Incomplete

This acknowledgement does not confer any rights on the applicant for grant or renewal of registration.

Signature and Designation of Registration Authority or authorized person in the Office of the Appropriate Authority.

Designation & Signature
of the Issuing Authority *(Computer Generated)*
SEAL

Receipt number:
Place, Date and Time: *(Computer Generated)*"

9. Substitution of Schedule.- The existing Schedule appended to the said rules shall be substituted by the following, namely:-

Government Clinical Establishment (Registration and Regulat Rules, 2013, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules r be called the Rajasthan Clinical Establishment (Registration a Regulation) (Amendment) Rules, 2015.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. Amendment of rule 1.- In sub-rule (1) of rule 1 of t Rajasthan Government Clinical Establishment (Registration ar Regulation) Rules, 2013, hereinafter referred to as the said rule: the existing expression "Government" shall be deleted.

3. Amendment of rule 7.- In rule 7 of the said rules, afte the existing punctuation mark ".", appearing at the end, the following expression shall be added, namely:-

"Applications may also be received and disposed off through signal window clearance system."

4. Amendment of rule 8.- In rule 8 of the said rules, for the existing expression "the acknowledgement slip in Form-5", the expression "the duly filled in acknowledgement slip in Form-5" shall be substituted.

5. Substitution of rule 10.- The existing rule 10 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"**10. Information about expiry of registration.-** The Authority shall inform through notice published on web site of the Authority inform the clinical establishment about date of expiry of its Provisional or Permanent registration, as the case may be, Such information shall be published, in case of Provisional Registration Certificate thirty days before date of expiry and in case of Permanent registration six months before the date of expiry".

6. Amendment of rule 11.- After the existing sub-rule (3) of rule 11 of the said rules, the following new sub-rule (4) shall be added, namely:-

"(4) All tax and fee etc. imposed by the Government or any other local authority shall be paid by the Clinical Establishment and after establishment of Clinical Establishment, if any additional amount of tax or fees etc. is payable, the Authority shall coordinate in payment of such tax or fees etc."

7. Amendment of rule 15.- The existing sub-rule (3) of rule 15 of the said rules shall be substituted by the following, namely:-

"(3) The State Government may notify, from time to time, the nature of information required to be furnished by the Clinical Establishments including other disease notified for this purpose.

"SCHEDULE
(See rule 11)

Fees to be Charged

Description	Urban Provision-al	Urban Permane-nt	Rural Provisional	Rural Permanent	Metro Provisional	Metro Permanent
Out Patient Care	-	200	-	100	100	500
In Patient Care:						
1 to 30beds	-	200	-	100	100	500
30 to 100 beds	100	500	50	250	200	1000
Above 100 beds	200	1000	100	300	300	1500
Testing & Diagnostic:						
Laboratories	100	500	50	250	200	1000
Diagnostic & Imaging Centre	200	1000	100	300	300	1500

Other Fees:

(i) For Renewal half the amount of registration fee (Provisional / Permanent)

(ii) For Late Application, along with the renewal fee, Rs. 50/- per day late fee upto the date of filling application for renewal of the registration (Provisional / Permanent) shall be charged.

(iii) For Duplicate Certificate, the amount shall be Rs. 100/-.

(iv) For change of ownership, management or name of establishment shall be Rs. 100/-.

(v) For any appeal the amount shall be Rs. 1000/-.

Note: If a laboratory or diagnostic center is a part of a establishment providing outpatient / Inpatient care no separate registration is required.

[No. F. 16(5) चिस्वा/2/99पार्ट]

By Order of the Governor,

महावीर सिंह,

Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.